न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84/2022/प्रा.पत्र/2022	23.09.2022	14.12.2022

डॉ मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1—श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 2 बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी के प्रतिनिधि श्री यतेंद्र जैन।

:—निर्णय—: **दिनांक 14.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.06.2022 को समय 03:11 पी.एम. पर मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मनोज कुमार जैन ने स्वंय को मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **स्नैक सॉस टॉमची श्री नाथ ब्राण्ड (Snack Sauce Tomchi Shree Nath Brand)** दुकान की रैक में 13 नग मूल पैक प्रत्येक 1050—1050 ग्राम रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मनोज कुमार जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मनोज कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **स्नैक सॉस टॉमची श्री नाथ ब्राण्ड (Snack Sauce Tomchi Shree Nath Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1050—1050 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1050—1050 ग्राम के 4 नग मूल पैक **स्नैक सॉस टॉमची श्री नाथ ब्राण्ड (Snack Sauce Tomchi Shree Nath Brand)** को बराबर—बराबर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एक भाग 1050 ग्राम को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3206 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3206 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **स्नैक सॉस टॉमची श्री नाथ ब्राण्ड (Snack Sauce Tomchi Shree Nath Brand)** का नमूना क्रय करते समय श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1979 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/2233/एक्ट/2022/2280 दिनांक 12.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **स्नैक सॉस टॉमची श्री नाथ ब्राण्ड (Snack Sauce Tomchi Shree Nath Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री यतेंद्र जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थी की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्नैक सॉस टॉमची श्री नाथ ब्राण्ड (Snack Sauce Tomchi Shree Nath Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्नैक सॉस टॉमची श्री नाथ ब्राण्ड (Snack Sauce Tomchi Shree Nath Brand)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0